राज्य के कर्मचारियों का डीए बढ़ाकर 42 फीसदी करने का फैसला

चर्चा में क्यों ?

27 अप्रैल, 2023 को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रमिंडल की बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों के महँगाई भत्ते को 34 प्रतशित से बढ़ाकर 42 प्रतशित करने का फैसला लयिा गया।

प्रमुख बदिु

- मंत्रमिंडल समन्वय सचवि वंदना डडेल ने बैठक के बाद बताया कि वृद्धि के कारण सरकारी खजाने पर प्रतविर्ष 441.52 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। कर्मचारियों को महँगाई भत्ते की अतरिक्ति कशि्त 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी होगा।
- जानकारी के मुताबकि, 1 जनवरी, 2016 से प्रभावी संशोधति वेतनमान (सातवाँ केंद्रीय वेतनमान) में 1 जनवरी, 2023 से महँगाई भत्ते की दरों में वृद्धि को मंज़ूरी दी गई है।
- राज्य के कर्मचारी जनिका वेतनमान या वेतन संरचना (सातवाँ वेतनमान संशोधन) 18 जनवरी, 2017 को 1 जनवरी, 2016 से संशोधति की गई है, उन्हें 1 जनवरी, 2023 से 42 प्रतशित महँगाई भत्ते का लाभ मलिने लगेगा। यह वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सफिारशिों पर आधारति है।
- मंत्रमिंडल ने एक अन्य नरि्णय में अनुसूचति जनजाति व जाति प्रमाण-पत्र के मानक पत्र में संशोधन के प्रस्ताव को भी हरी झंडी दे दी है। अब केंद्र सरकार का वहिति प्रपत्र पाँच (फॉर्म-5) झारखंड में भी लागू होगा।
- इसके अलावा मंत्रमिंडल की बैठक में पशि्चमि सहिभूम ज़लि के चक्रधरपुर में अनुमंडल न्यायालय की स्थापना और शहरी स्थानीय नकिायों में प्रशासकों की नयिुक्ति को भी मंज़ूरी दी गई।

PDF Refernece URL: https://www.drishtiias.com/hindi/printpdf/decision-to-increase-da-of-state-employees-to-42-percent